

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ० पी० चन्देलिया

प्रकरण सं० : 15/2024

अनवान :

नवीन पुत्र कृष्णकुमार जाति मेघवाल निवासी किराड़ावड़ा तहसील भादरा हाल वार्ड संख्या 22 भादरा।

:- वादी

वनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी किराड़ावड़ा तहसील भादरा हाल वार्ड संख्या 22 भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति मेघवाल निवासी किराड़ावड़ा तहसील भादरा हाल वार्ड संख्या 22 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. ज्यानादेवी पत्नी कृष्णकुमार जाति मेघवाल निवासी किराड़ावड़ा तहसील भादरा हाल वार्ड संख्या 22 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र वैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ावड़ा के खाता सं० 61/188 के ख०सं० 310 की 3.4140 है०, ख०सं० 427 की 10.8120 है०, ख०सं० 8 की 8.6880 है० कुल खसरा 3 की कुल 22.9140 है० वारानी वादभूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णकुमार के नाम 5/96 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णकुमार का नाम कलमजन कर वादी नवीन व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश कुमार को 5/192-5/192 हिस्सा के खातेदार घोषित किये किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*(ओम प्रकाश पौलिया)*  
21-08-24  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

